

(मूल लीजडीड धारक के लिए)

अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed(पट्टा))

मैं/हम.....पुत्र/पुत्री/पत्नि.....
 आयु.....जाति.....निवासी.....
 आधार कार्ड न.....मोबाईल न..... का हूँ। यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में स्थित योजना/कॉलोनी.....के भूस.....
 का लीजहोल्डर पट्टाधारक हूँ। मैं अब उक्त भूखण्ड के लीज होल्ड पट्टाभिलेख को समर्पित कर फ्री-होल्ड पट्टा लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ के संबंध में शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करती हूँ कि :-

1. यह है कि योजना स्थान..... में भूखण्ड सं.
 क्षेत्रफल..... वर्गमीटर/वर्गगज और जो अपनी सीमा एवं क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके सलंगन नक्शे में दिखाया गया है, को आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ 99 वर्ष के लिए रु.
 वार्षिक लीज पर विक्रय/आवंटित/नियमित किया जाकर उक्त भूखण्ड/भवन का पट्टाभिलेख उप पंजीयक कार्यालय..... में पंजीकृत करवाया गया था, जो दिनांक.....पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या..... में पृष्ठ संख्या..... कम संख्या.....पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर चस्पा किया हुआ है।
2. यह कि अभ्यर्पणकर्ता को जविप्रा/जिला कलेक्टर/नगर विकास न्यास/नगर विकास बोर्ड द्वारा भूसं. योजना..... के लिये जो लीज होल्ड पट्टाभिलेख जारी किया गया था को फ्री-होल्ड पट्टा लेने हेतु समर्पित कर रहा हूँ। उक्त भूखण्ड ना ही कही रहन रखा गया है ना ही किसी प्रकार से विक्रय/हस्तांतरित किया गया है।
3. यह है कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड मेरे पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक.....को जारी की गई थी जारी किये जाने के उपरान्त मेरे द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान..... में रहन रखी हुई थी जो मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल ही प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रस्तुत किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त लीजडीड के आधार पर फ्री होल्ड लीजडीड जारी कर दी जाये जारी होने के उपरान्त मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा करवा दी जावेगी उसके लिये मैं जिम्मेदार रहूंगा।
4. यह है कि अभ्यर्पणकर्ता समर्पित किये जाने वाले भूखण्ड के उतने हिस्से का ही एक मात्र स्वामी व वैध कब्जेधारी है जो अभ्यर्पणनामा में वर्णित है जिसका अभ्यर्पणनामा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।
5. मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा निष्पादित अभ्यर्पणनामा में अंकित समस्त तथ्य सही हैं। इसकी मैं व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। मैंने कोई तथ्य नहीं छुपाया है। इस संबंध में आज से पूर्व या पश्चात यदि कोई उज्र/विवाद होगा तो उसका निपटारा भी अभ्यर्पणकर्ता द्वारा अपने हर्जे खर्चे पर कराया जावेगा। इस भूखण्ड के प्रति किसी भी न्यायालय में कोई भी राजकीय/निजी वाद विचाराधीन नहीं हैं।
6. यह कि 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज अथवा जो भी बकाया राशि देय होगी वह भी अभ्यर्पणकर्ता प्राधिकरण कोष में जमा कराने हेतु अपनी सहमति देता है।
7. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मैं स्वयं तथा मेरे विधिक वारिसान उक्त अभ्यर्पणनामा के आधार पर पाबन्द रहेगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करेगें।

उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 7 तक सूचना मिथ्या होने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण अभ्यर्पणनामा में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं मेरा दावा स्वत ही निरस्त समझा जावेगा।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

सत्यापन

यह है कि उक्त अभ्यर्पणनामा के बिन्दू सं. 1 से 7 तक की सूचना मेरी/हमारी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है, इसमें मैंने /हमने कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। अतः यह अभ्यर्पणनामा मैंने/हमने होश-हवाश व स्थिर बुद्धि व बिना दबाव के स्वेच्छा से 100/- के स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है जो जरूरत पडे तो काम आवें।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

दिनांक :

स्थान :

नोट :- उक्त अभ्यर्पणनामा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होकर अधिकृत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना आवश्यक है।

(मूल लीजडीड धारक के स्थान पर अन्य आवेदको के लिए)
अभ्यर्पण (Affidavit to Surrender Right of Lease Deed(पट्टा))

मैं/हमपुत्र/पुत्री/पत्नि.....
आयु.....जाति.....निवासी.....
आधार कार्ड न.....मोबाईल न..... का हूँ। यह है कि जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्राधिकार में स्थित योजना/कॉलोनी.....के भूस..... का लीजहोल्डर पट्टाधारक हूँ। मैं अब उक्त भूखण्ड के लीज होल्ड पट्टाभिलेख को समर्पित कर फ्री-होल्ड पट्टा लेना चाहता हूँ/चाहती हूँ के संबंध में शपथपूर्वक बयान करता हूँ करती हूँ कि :-

1. यह है कि योजना स्थान..... में भूखण्ड सं. क्षेत्रफल..... वर्गमीटर/वर्गगज और जो अपनी सीमा एवं क्षेत्रफल के साथ इसके अन्तर्गत लिखे गये परिशिष्ट में अधिक पूर्णरूपेण वर्णित है तथा जिसका आकार विशेष रूप से इसके सलंगन नक्शे में दिखाया गया है, को आवासीय/वाणिज्यिक/संस्थानिक/मिश्रित प्रयोजनार्थ 99 वर्ष के लिए रु. वार्षिक लीज पर विक्रय/आवटित/नियमित किया जाकर उक्त भूखण्ड/भवन का पट्टाभिलेख उप पंजीयक कार्यालय..... में पंजीकृत करवाया गया था, जो दिनांक.....पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या..... में पृष्ठ संख्या..... क्रम संख्या.....पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर चस्पा किया हुआ है।
2. यह कि अभ्यर्पणकर्ता को जविप्रा/जिला कलेक्टर/नगर विकास न्यास/नगर विकास बोर्ड द्वारा लीज होल्ड पट्टाभिलेख जो कि भूसं. योजना..... के लिये श्री/श्रीमती को जारी किया गया था तदुपरान्त यह भूखण्ड विक्रय पत्र / दानपत्र/ वसीयत/ सहमति से बटवारा/गोदनामा/उत्तराधिकार/सक्षम न्यायालय की डिक्री के आदेशानुसार/उप विभाजन/पुनर्गठन /एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों के आधार पर जो कि उप पंजीयक कार्यालय.....में पंजीकृत हुआ है, जो दिनांक.....पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या..... में पृष्ठ संख्या..... क्रम संख्या.....पर पंजीबद्ध है। तथा अतिरिक्त पुस्तक संख्या.....जिल्द संख्या.....के पृष्ठ संख्या.....पर चस्पा किया हुआ है के आधार पर मेरे / हमारे नाम से हस्तान्तरित हुआ है/अब होगा को अब मेरे/हमारे द्वारा फ्री-होल्ड पट्टा लेने हेतु समर्पित कर रहा/रही/रहे हूँ/है। मेरे/हमारे द्वारा उक्त भूखण्ड ना ही कही रहन रखा गया है और ना ही किसी प्रकार से विक्रय/हस्तांतरित किया गया है, अर्थात् उक्त भूखण्ड का निर्विवाद रूप से एक मात्र स्वामित्व मेरा है। अगर एक से अधिक बार भूखण्ड हस्तांतरण हुआ है तो उक्तानुसार समस्त सूचना अंकित करते हुये मूल दस्तावेजात प्रस्तुत कर रहा/रही/रहे हूँ/है।
3. यह है कि उक्त भूखण्ड की लीजडीड मेरे पक्ष में जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा दिनांक.....को जारी की गई थी जारी किये जाने के उपरान्त मेरे द्वारा बैंक/वित्तीय संस्थान..... में रहन रखी हुई थी जो मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान से मूल ही प्राप्त कर प्रस्तुत की जा रही है। साथ ही अनापति प्रमाण पत्र सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान का प्रस्तुत किया जा रहा है। जयपुर विकास प्राधिकरण के द्वारा उक्त लीजडीड के आधार पर फ्री होल्ड लीजडीड जारी कर दी जाये जारी होने के उपरान्त मेरे द्वारा सम्बंधित बैंक/वित्तीय संस्थान में जमा करवा दी जावेगी उसके लिये मैं जिम्मेदार रहूंगा।
4. यह है कि अभ्यर्पणकर्ता समर्पित किये जाने वाले भूखण्ड के उतने हिस्से का ही एक मात्र स्वामी व वैध कब्जेधारी है जो अभ्यर्पणनामा में वर्णित है जिसका अभ्यर्पणनामा प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ।
5. मैं/हम घोषणा करता/करते है कि मेरे द्वारा निष्पादित अभ्यर्पणनामा में अंकित समस्त तथ्य सही हैं। इसकी मैं/हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेता हूँ। मेरे/हमारे द्वारा कोई तथ्य नहीं छुपाया है। इस संबंध में आज से पूर्व या पश्चात यदि कोई उज्र/विवाद होगा तो उसका निपटारा भी अभ्यर्पणकर्ता द्वारा अपने हर्जे खर्चे पर कराया जावेगा। इस भूखण्ड के प्रति किसी भी न्यायालय मे कोई भी राजकीय/निजी वाद विचाराधीन नहीं हैं।
6. यह कि 10 वर्ष/2 वर्ष की लीज अथवा जो भी बकाया राशि देय होगी वह भी अभ्यर्पणकर्ता प्राधिकरण कोष में जमा कराने हेतु अपनी सहमति देता है।
7. यह कि उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में मैं स्वयं तथा मेरे विधिक वारिसान उक्त अभ्यर्पणनामा के आधार पर पाबन्द रहेगे तथा भविष्य में किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं करेगें।
उपरोक्त शर्त संख्या 1 से 7 तक सूचना मिथ्या होने की स्थिति में जयपुर विकास प्राधिकरण अभ्यर्पणनामा में निर्धारित दायित्व निष्पादित करने हेतु उत्तरदायी नहीं होगा एवं मेरा/हमारा दावा स्वत ही निरस्त समझा जावेगा।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

सत्यापन

यह है कि उक्त अभ्यर्पणनामा के बिन्दू सं. 1 से 7 तक की सूचना मेरे/हमारी निजी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है, इसमें मेरे/हमने द्वारा कोई भी तथ्य नहीं छुपाया है। अतः यह अभ्यर्पणनामा मैंने/हमने होश-हवाश व स्थिर बुद्धि व बिना दबाव के स्वेच्छा से 100/- के स्टाम्प पेपर पर लिख दिया है जो जरूरत पडे तो काम आवें।

हस्ताक्षर अभ्यर्पणकर्ता

दिनांक :

स्थान :

नोट :- उक्त अभ्यर्पणनामा 100/- रुपये के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित होकर अधिकृत नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित होना आवश्यक है।